

पत्र संख्या : 7/यो-कोर्ट केश-26/2018 (खण्ड संचिका) 230

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 10/01/2020

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभाग के जलपथ प्रमंडल सं.-1, चैनपुर शिविर गुमला अन्तर्गत Arbitration Application 12/2011 of Spill Channel from 400m to 800m under Upper Shankh Reservoir Scheme (एकरारनामा सं.-03F2/2002-03, दिनांक 21.11.2002) के Award पर Negotiation के पश्चात् M/S Vijeta Project & Infrastructure Ltd. Ranchi को भुगतेय हेतु आवंटनादेश सं.-175, दिनांक 06.12.2019 द्वारा निर्गत रु. 43.00 लाख (रु. तैतालीस लाख मात्र) रूपये राशि का प्रत्यार्पण स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-46/06-07, प्र०स्वी०, दिनांक-30.03.2017 (Online AA-1887/03.12.19) एवं आवंटनादेश सं.-175, दिनांक 06.12.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय से प्रत्यार्पण स्वीकृत किया जाता है:- (लाख रु. में)

क्र०	मॉग संख्या/ मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2019-20 का संशोधित बजट उपबंध	निर्गत आवंटन	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पण के उपरांत अवशेष उपबंध
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई परि व्यय/ 80-सामान्य	796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना/ 74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49S470180796740545	970.00	809.83	43.00	203.17

प्रत्यार्पित राशि - ₹ तैतालीस लाख मात्र।

2. उपर्युक्त प्रत्यार्पण स्वीकृत की जा रही राशि की विवरणी निम्नवत् है:-

(राशि लाख रु. में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति	मार्च 2019 .तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में			Car-line Allo. and Access No
						पूर्व का आवंटन	प्रत्यार्पित राशि	संशोधित कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चैनपुर शिविर गुमला (GMLIRR004)	राँची	अपर शंख जलाशय योजना	14119.00	15158.00	43.00	43.00	0.00	76315
						योग	43.00	43.00	0.00

✓ 1.20
(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/चैनपुर/गुमला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ 2.20
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

✓ 1.20
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

✓ 1.20
(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

10/01/2020

राँची, दिनांक :-

230

न्मापांक :-

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (भौ.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

X
10/01/20
(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव